# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत।

पत्रांक / क0गां0बा0आ0वि0 / एस0एस0ए0 / 3501-07 / 2024–25 दिनांक– 25/06/24

**प्रेस–विज्ञप्ति**

बेसिक शिक्षा विभाग बागपत के अधीन संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बड़ौत व छपरौली मे संविदा के आधार पर रिक्त पदों को भरा जाना है। बडौत में 01 पद–अनारक्षित पूर्ण कालिक शिक्षिका हिन्दी विषय (मानदेय 24200–00 प्रतिमाह ), 01 पद–अनारक्षित पद के लिये आरक्षित मुख्य रसोईया (मानदेय 8577–00 प्रतिमाह ), 01 पद–अनारक्षित सहायक रसोईया (मानदेय 6433–00 प्रतिमाह) व छपरौली में 01 पद–अनु0 जाति पूर्ण कालिक शिक्षिका विज्ञान विषय (मानदेय 24200– प्रतिमाह), 01 पद–अनारक्षित उर्दू शिक्षक (मानदेय 16408–00 प्रतिमाह) व 01 पद–अनु0 जाति अंशकालिक कम्प्यूटर शिक्षिका (मानदेय 12181–00 प्रतिमाह) के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये है। प्रत्येक पद हेतु निर्धारित मानदेय, शैक्षिक योग्यता, नियम व शर्तें आदि का विवरण व आवेदन का प्रारूप जिला बागपत की वेबसाईट **bagpat.nic.in** पर उपलब्ध है तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी प्रिन्ट कापी प्राप्त कर सकते है। आवेदन की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2024 है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय में केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें। उक्त सभी पद हेतु महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं।

नोट– उक्त रिक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं0–13553 / 2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

आकांक्षा 25/6/24
(आकांक्षा रावत)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

पृ0सं0 / क0गां0बा0अ0वि0 / एस0एस0ए0 / / 2024–25 तद् दिनांक–

**प्रतिलिपि–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

01. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
02. जिलाधिकारी महोदय, बागपत की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
03. सचिव महोदय (बेसिक शिक्षा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
04. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, बागपत।
05. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बागपत।
06. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस आशय से कि दी गयी विज्ञप्ति नियम एवं शर्ते तथा आवेदन पत्र के प्रारूप को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
07. सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले अंक मे न्यूनतम अंक एवं शासकीय दरो पर प्रकाशित कर बिल तीन प्रतियों मे अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (प्रादेशिक संस्करण)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत।

पत्रांक / क0गां0बा0आ0वि0 / एस0एस0ए0 / / 2024—25 दिनांक—

## विज्ञप्ति

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान, लखनऊ के पत्रांक: के0जी0बी0वी0 / 13150 / 2023—24 दिनांक 01.02.2024 एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या—1553 / 68—5—2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग—5 लखनऊ दिनांक: 11 दिसम्बर, 2020 तथा पताका "ख" राज्य परियोजना निदेशक एवं सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के पत्रांक के0जी0बी0वी0 / शिक्षक / 8362 / 2020—21 दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन दिनांक 14.02.2024 के अनुक्रम में जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, छपरौली में रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा के अधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक केवल महिला अभ्यर्थियों (4 पर शिक्षण कार्मिक 02 शिक्षणेत्तर कार्मिक) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन केवल पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत निकट कलक्ट्रेट बागपत में दिनांक 15.07.2024 की सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अपूर्ण / अपठनीय तथा अंक पत्र / प्रमाण पत्र संलग्न रहित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे। आवेदन से सम्बन्धित समस्त नियम शर्तें व आवेदन पत्र एन0आई0सी0 की वेबसाइट www.bagpat.nic.in पर अपलोड हैं।

### रिक्तियों एवं आरक्षित पदों का विवरण

| क0 सं0 | विद्यालय का नाम | पद का नाम / विषय | पद का प्रकार | रिक्त पदों की संख्या | जति | शैक्षिक योग्यता | मानदेय प्रतिमाह |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01 | कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, छपरौली (बागपत) | शिक्षिका (विज्ञान) | पूर्णकालिक (महिला) | 01 | अनुसूचित जाति | विज्ञान (जेड0वी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0) मान्य होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा। | 24200.00 |
| 02 | | शिक्षिका (कम्प्यूटर) | अंशकालिक (महिला) | 01 | अनुसूचित जाति | कम्प्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 / बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवेल / ए लेवेल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी। | 12181.00 |
| 03 | | उर्दू शिक्षिका | अंशकालिक (महिला) | 01 | अनारक्षित | उर्दू शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 / समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होगी। | 16408.00 |
| 04 | कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, बड़ौत (बागपत) | शिक्षिका (हिन्दी) | पूर्णकालिक (महिला) | 01 | अनारक्षित | भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0) मान्य होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा। | 24200.00 |
| 05 | | मुख्य रसोईया | पूर्णकालिक (महिला) | 01 | अनारक्षित | मुख्य रसोईया हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोईया का पद पूर्णकालिक है। इनके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है। | 8577.00 |
| 06 | | सहायक रसोईया | पूर्णकालिक (महिला) | 01 | अनारक्षित | मुख्य रसोईया हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोईया का पद पूर्णकालिक है। इनके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है। | 6433.00 |

नोट—01. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं रिक्तियों से सम्बन्धित दिशा निर्देश / नियम शर्तें / विवरण जनपद की वेब साईट www.bagpat.nic.in पर देखे जा सकते है। उक्त रिक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं0—13553 / 2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

02. उपरोक्त तालिका में क्रमांक 02, 03, 05 व 06 पर अंकित कार्मिकों के मानदेय में 13 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान सम्मिलित है।

आकांक्षा रावत 25/6/24

(आकांक्षा रावत)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

..एवं शर्तें–

1. अर्हता:–

- पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदो के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- अग्रेतर उल्लेखनीय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों मे रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद से आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता मे शासनादेश संख्या के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
- उर्दू शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होगी।
- कम्प्यूटर शिक्षक/शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक डी0ओ0ई0एस0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ''ओ लेवल''/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
- कला, काफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक/शिक्षिका का पद कला, काफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित रहे हैं, उनके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद से आवेदन करने पर, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा, किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- समस्त रिक्त पदों केवल महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जायेगा।
- लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम0एस0ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में ''ओ'' लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
- मुख्य रसोईया/सहायक रसोईया/चपरासी/चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 08 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संकामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक है। इनके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।

02. आयु:–

- समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 जनवरी, 2024 को 25 वर्ष होगी।
- समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 जनवरी, 2024 को 45 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन मे प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु आयु सीमा मे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के

समतुल्य छूट प्रदान की जाये, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों मे सेवा हेतु समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

03. आरक्षणः—

- राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

04. चरित्रः—

- किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयनित समिति अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में यथोचित समाधान करेगी।

05. उपरोक्त समस्त पद संविदा पर आधारित होगें तथा विद्यालय मे कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिये किया जायेगा, यदि कार्यरत वॉर्डन/शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक पाया जाता है, तो अगले सत्र के लिये उनकी संविदा का जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त नवीनीकरण किया जायेगा।

06. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी अथवा स्व0 प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

07. एक अभ्यर्थी से एक पद हेतु एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

08. दो लिफाफो पर 25—25 रूपयें के डाक टिकट लगाकर स्वयं का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित लिखें तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजें।

09. अपूर्ण अपठनीय, आवेदन पत्र तथा आरक्षित पद पर आवेदक द्वारा आरक्षण प्रमाण पत्र न संलग्न करने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

10. प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक पद के लिये वरीयता क्रम में 05—05 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

11. जनपदीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा। निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नही किया जा सकता है।

12. उक्त चयन प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार जनपदीय समिति का होगा।

13. पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षिका का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा एवं राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार मनोविज्ञान शिक्षक द्वारा साक्षात्कार भी लिया जा सकता है।

14. मुख्य रसोइया हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष साक्षात्कार कर चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

15. चयनित विषय के अतिरिक्त धारित योग्यता के आधार पर अन्य विषयों का भी शिक्षण कार्य लिये जाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निहित होगा।

16. वॉर्डन, पूर्णकालिक शिक्षिका/मुख्य रसोइया/सहा0रसोइया को विद्यालय में ही रात्रि निवास करना होगा, किन्तु परिवार के किसी अन्य सदस्य को विद्यालय परिसर मे निवास की अनुमति नही होगीं।

17. विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा तथा चयन समिति के निर्णयानुसार चयन किया जायेगा।

18. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15/07/24 को सांय 05:00 बजे के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

**नोटः— <u>उक्त रिक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं0—13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।</u>**

(हस्ताक्षर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

# कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

01. आवेदित विद्यालय का नाम ..............................................................
02. आवेदित पद का नाम ..............................................................
03. गृह जनपद का नाम ..............................................................
04. अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में) ..............................................................
05. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) ..............................................................
06. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार) ..............................................................
07. आयु (दिनांक 01.01.2024 को) ............... वर्ष ..................माह .............. दिन....................
08. पत्र व्यवहार का पता ..............................................................
..............................................................
..............................................................

फोटो

09. स्थायी पता ..............................................................
..............................................................
10. टेलीफोन न0 (एस0टी0डी0 कोड सहित) ................................................ मोबाईल न0 ..............................................
11. जाति आरक्षण कोड सामान्य वर्ग–3, पि0जाति–4, अनु0जाति–5 ..............................................................
12. शैक्षिक योग्यताओं का क्रमवार विवरणः–

| क0 सं0 | परीक्षा का नाम | बोर्ड/वि0वि0 का नाम वर्ष | विषय | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | हाईस्कूल | | | | | |
| 02 | इण्टरमीडिएट | | | | | |
| 03 | स्नातक | | | | | |
| 04 | बी0एड0, बी0पी0एड0/सी0पी0एड0 /डी0पी0एड0 | | | | | |
| 05 | टी0ई0टी0 उच्च प्राथमिक | | | | | |
| 06 | अन्य | | | | | |

मै एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। चयन के पूर्व अथवा बाद मे जॉचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थान/अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण–पत्र/अंकपत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है। आवेदन पत्र प्रेषित करने के दिनांक के बाद कोई भी प्रमाण–पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करने पर उसको अमान्य करने व विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा न करने की स्थिति मे मेरा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाये।

नोटः– उक्त रिक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं0–13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

दिनांक ................................

**अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम व हस्ताक्षर तिथि सहित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**